रजिस्ट्री सं. डी.एल.-3/डी एल (एन)-04/0009/2003—05 भारत सरकार REGD. No. G-3/DL (N)-04/0009/2003—05

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 27] दिल्ली, जुलाई 31—अगस्त 6, 2009, बृहस्पतिवार/श्रावण 9—श्रावण 15, 1931 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 111, 115, 116, 119]

No. 27] DELHI, JULY 31—AUGUST 6, 2009, THURSDAY/SRAVANA 9—SRAVANA 15, 1931 [N.C.T.D. No. 111, 115, 116, 119]

भाग—IV
PART-IV

भाग-I में सम्मिलित अधिसूचनाओं को छोड़कर राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार के विभागों की अधिसूचनाएं

Notifications of Departments of the Government of the National Capital Territory of Delhi other than Notifications included in Part-I

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

प्रशासनिक सुधार विभाग

अधिसूचनाएं

दिल्ली, 30 जुलाई, 2009

फा. सं. 12/02/04/प्र. सु./7738-7902/सी.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के दिनांक 25-9-1997 के संकल्प संख्या फा. 4/14/94-प्र.सु. जो दिनांक 30-7-1998 के संकल्प संख्या फा. 4/14/94-प्र.सु. के अनुसार संशोधित हुआ, के पैराग्राफ 2 के खण्ड ए के उप-खण्ड (i) के अनुसरण में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उपराज्यपाल, श्री दिनेश गुप्ता को एक वर्ष की अवधि के लिए जन शिकायत निवारण आयोग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अंशकालीन सदस्य के रूप में नियुक्त करते हैं।

श्री दिनेश गुप्ता दिनांक 8-8-2009 से 7-8-2010 तक अपने पद पर बने रहेंगे।

ADMINISTRATIVE REFORMS DEPARTMENT

NOTIFICATIONS

Delhi, the 30th July, 2009

F. No. 12/02/04/AR/7738-7902/C.—In pursuance of sub-clause (i) of clause A of paragraph 2 of Government of National Capital Territory of Delhi Resolution No. F. 4/14/94-AR dated 25-9-1997 as amended *vide* Resolution No. F. 4/14/94-AR dated 30-7-1998, the Lt. Governor, National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint Sh. Dinesh Gupta as Part-Time Member, Public Grievances Commission, Government of National Capital Territory of Delhi for a further period of one year, subject to the terms and conditions as stipulated in the above referred Resolutions.

Shri Dinesh Gupta shall hold the office for a period of one year from 8-8-2009 to 7-8-2010.

फा. सं. 12/02/04/प्र. सु./7903-8067/सी.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के दिनांक 25-9-1997 के संकल्प संख्या फा. 4/14/94-प्र.सु. जो दिनांक 30-7-1998 के संकल्प संख्या फा. 4/14/94-प्र.सु. के अनुसार संशोधित हुआ, के पैराग्राफ 2 के खण्ड ए के उप-खण्ड (i) के अनुसरण में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उपराज्यपाल श्रीमती निशा सैमुअल को एक वर्ष की अवधि के लिए जन शिकायत निवारण आयोग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अंशकालीन सदस्य के रूप में पुन: नियुक्त करते हैं।

श्रीमती निशा सैमुअल दिनांक 31-7-2009 से 30-7-2010 तक अपने पद पर बनी रहेंगी।

जी. नरेन्द्र कुमार, सचिव (प्रशासनिक सुधार)

F. No. 12/02/04/AR/7903-8067/C.—In pursuance of sub-clause (i) of clause A of paragraph 2 of Government of National Capital Territory of Delhi Resolution No. F. 4/14/94-AR dated 25-9-1997 as amended *vide* Resolution No. F. 4/14/94-AR dated 30-7-1998, the Lt. Governor, National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint Mrs. Nisha Samuel as Part-Time Member, Public Grievances Commission, Government of National Capital Territory of Delhi for a further period of one year, subject to the terms and conditions as stipulated in the above referred Resolutions.

Mrs. Nisha Samuel shall hold the office for a period of one year from 31-7-2009 to 30-7-2010.

G. NARENDRA KUMAR, Secy.
(Administrative Reforms)

कार्यालय पंजीयक सहकारी समितियां

अधिसूचना

दिल्ली, 3 अगस्त, 2009

फा. सं. 47/1997/पश्चिम/गृह आवास/सह./762.—दिल्ली सहकारी समितियाँ अधिनियम, 2003 की धारा 127 (दिल्ली अधिनियम 3, 2004) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, स्वंमसिद्दा सहकारी सामुहिक आवासीय समिति (पंजी. संख्या 1997) को धारा 37(1)(ख) के प्रावधानों से उन्मुक्त करते हैं तथा उक्त समिति की अतिक्रमण की अवधि 31-12-2009 तक एवं श्री वाई. डी. शर्मा, सहायक निदेशक, विकास विभाग को श्री आर. के. शर्मा के स्थान पर प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया। उक्त समिति के प्रशासक की अवधि 31-12-2009 तक की है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के
उपराज्यपाल के आदेश से
तथा उनके नाम पर,

डी. एन. सिंह, संयुक्त पंजीयक सहकारी समितियाँ

OFFICE OF THE REGISTRAR COOPERATIVE SOCIETIES

NOTIFICATION

Delhi, the 3rd August, 2009

F. No. 47/1997/GH/Coop/West/762.—In exercise of powers conferred by Section 127 of the Delhi Cooperative Societies Act, 2003 (Delhi Act 3 of 2004), the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby exempts the Swayam Siddha Cooperative Group Housing Society Ltd. (Reg. No. 1997) from the provisions of Section 37(1)(b) and accordingly extend the period of supersession of the managing committee of Swayam Siddha Cooperative Group Housing Society Ltd. and by appointing Sh. Y. D. Sharma, Assistant Director, Dev. Department as Administrator in place of Sh. R.K. Sharma of the said Society up to 31-12-2009.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of
the National Capital Territory of Delhi,

D. N. SINGH, Jt. Registrar Cooperative Societies

दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

अधिसूचना

दिल्ली, 28 जुलाई, 2009

फा. सं. 681/डी.एच.सी./राजपत्र/जी-14/विशेष एम.एम./2009.—इस न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश एवं न्यायाधीशगण महानगर दण्डाधिकारियों की शक्तियां, जो दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 18 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित विशेष महानगर दण्डाधिकारियों को प्रदत्त की गई थी, को दिनांक 31-7-2009 को उनकी कालावधि की समाप्ति पर एतद्द्वारा उनकी सेवाएं समाप्त करते हुए सहर्ष प्रतिसंहत करते हैं :—

1. श्री यू. एन. कौशिक
2. श्री बी. डी. शर्मा
3. श्री के. पी. राजोरा
4. श्री जोगिन्दर सिंह
5. श्री सूर्य कान्त
6. श्री अश्वनी कुमार शर्मा
7. श्री जे. पी. अग्रवाल
8. श्री आर. एन. मारवाह
9. श्री मांगी लाल जैन
10. लेफ्टि. कर्नल (सेवानिवृत्त) एस. के. वर्मा
11. लेफ्टि. कर्नल (सेवानिवृत्त) एस. पी. सिंह
12. श्री एच. एल. शर्मा
13. श्री महावीर प्रसाद
14. श्री बी. के. अग्निहोत्री
15. श्री चन्द्रा भान
16. श्री राजेन्द्र कुमार डोंगरा
17. श्री आर. के. जोशी